


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/9/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उप०। विप्रार्थी संख्या 4 पैरोकार उप०। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना।</p> <p>प्रार्थी के आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.08 व खसरा नम्बर 311/224 रकबा 86.09 बीघा कुल रकबा 97.17 बीघा ग्राम खोडाल तह० शिव में अवस्थित है। मूल खसरा नम्बर 224 में से 100 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता ने दिनांक 14.01.66 सम्वत 2023 में खरीदी थी तथा उक्त खेत की तरमीम दुरस्ती भी हो चुकी है तथा मौका से तरमीम सुदा नक्शा भी आ चुका है। जो आवेदन के साथ पेश है। मौके पर 100 बीघा भूमि एकल है किसी प्रकार से विभक्त नहीं है तथा मौके पर प्रार्थी के दो ट्यूब वेल, ढाणी, टांका बने हुए है तथा 2023 से लेकर आज तक कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है। हल्का पटवारी व आर०आई० की भूल से रेकर्ड में तरमीम आदेश की पालना नहीं हुई तथा मौका पर स्थिति भिन्न है तथा रेकर्ड में स्थिति भिन्न है इस कारण दिनांक 12.07.2001 को मौका से प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम की जावे जब तक तरमीम नहीं होती हैं तब तक वर्तमान मौका की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन व किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जावे। खसरा नम्बर 224 जो वादी के नाम से दर्ज है जिसकी पूर्व में तरमीम दुरस्ती का नक्शा आ चुका है तथा उक्त नक्शा अनुसार फैसला भी हो चुका है। हल्का पटवारी व आर०आई० की भूल से प्रार्थी को शिकार नहीं बनाया जावे। विप्रार्थीगण प्रार्थी के पुराने प्रस्तावित तरमीम में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तथा भविष्य में तनाव लडाई झगडा की तीव्र सम्भावना बन चुकी है एवं अनावश्यक झगडे नहीं हो व अनावश्यक मुकदमेंबाजी नहीं बढे इसलिये प्रार्थी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे तथा मौके में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे। प्रार्थी साफ दिल से अदालत में आया है उसके साथ बडा भारी अन्याय हुआ है। उसके खेत के दो टुकडे कर दिये है जबकि मौका पर पुरा खेत 100 बीघा का एकल है। सडक विप्रार्थी के खसरा नम्बर 289/224 रकबा 105.02 बीघा व खसरा नम्बर 294/224 रकबा 132.14 बीघा ग्राम खोडाल में से सडक का रकबा 2.3 बीघा काटी जावे। प्रार्थी के खेत में से कोई सडक नहीं निकलती है जबकि प्रार्थी के खसरा में से 2. 03 बीघा भूमि गलत तरीके से सडक की काट दी है। जबकि प्रार्थी के खेत में कोई सडक ही नहीं चल रही है तथा 100 बीघा एकल खेत का अलग खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.08 बीघा अलग सृजित कर दिया है। जबकि उपरोक्त रकबा का 100 बीघा खेत एकल है। उक्त रकबा 11.08 एकल होते हुए भी अलग दर्शा दिया है जो कल्पना से परे है एवं सारी स्थिति भिन्न हो गई है। मूल खसरा नम्बर 224 का रकबा 100 बीघा भूमि एकल की जावे तथा विभक्त खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.06 को मूल वर्तमान खसरा नम्बर</p>	

18/9/19
 शिव

311/224 का 100 बीघा किया जावे एवं सडक की 2.03 बीघा भी मूल खसरा नम्बर 311/224 के साथ जोड़ कर रेकर्ड मे दुरस्ती कर 100 बीघा भूमि काश्त कब्जा अनुसार तथा पूर्व मे हुई तरमीम तो पूर्व मे नक्शा आ चुका है उसके अनुसार सही दुरस्त की जावें। प्रार्थी की सहमति के बिना प्रार्थी की भूमि के टुकडे करने तथा 2.03 बीघा भूमि सडक नहीं चलते हुऐ भी सडक मे भूमि काटना प्रार्थी के साथ बडा भारी अन्याय, धोखा हुआ है। प्रार्थी अपनी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार तरमीम सही करवाने का पूर्ण अधिकारी हैं तथा प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा, संरक्षण कर प्रार्थी की सुरक्षा, संरक्षण कर प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा की जावें। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर वर्तमान खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.08 बीघा व खसरा नम्बर 311/224 रकबा 86.09 बीघा व सडक में कटी भूमि 291/224 की 2.03 बीघा भूमि प्रार्थी के मूल खसरा नम्बर 224 कय अनुसार व कब्जा अनुसार 100 बीघा एकल की जावे तथा नये सिरे से कब्जा अनुसार तरमीम की जावे व सडक विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 289/224 रकबा 105.02 बीघा व खसरा नम्बर 294/24 रकबा 132.14 बीघा ग्राम खोडाल मे से काटी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गये। विप्रार्थीगण की और से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

विप्रार्थी अधिवक्ता का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 व उसकी माता किसनी पत्नी मानाराम की संयुक्त खातेदारी के खेत का रकबा 97.17 बीघा है रकबा 2.03 बीघा भूमि सडक मे जाने से कम हो चुकी है। प्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 22.06.2001 की मौका से प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम की जाती है तो हम विप्रार्थी संख्या 4 व 5 को कोई ऐतराज नहीं है। मौके पर भी प्रार्थी एवं विप्रार्थी इसी अनुसार कब्जा काश्त के काबिज है। अतः किसी भी पक्षकार को उसके हको से वंचित नहीं किया जावें एवं न ही उपयोग उपभोग में बाधा पैदा की जावें। प्रार्थी एवं विप्रार्थी मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर काश्त सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है केवल तरमीम ही पूर्व आदेशानुसार की जानी उचित है। अतः प्रार्थी हम विप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी संख्या 1 व उसके सह खातेदार का राजस्व रेकर्ड मे अंकित रकबा एकल किया जाता है तो हम विप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। पूर्व में पारित आदेश अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण ने समस्त रेकर्डेड खातेदार व हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार बनाये बिना उक्त आवेदन प्रस्तुत किया होने से आवेदन खारीज योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबानुसार ही अपने खेत की नेखमबंदी किये जाने का आदेश भी माननीय न्यायालय से करवाया हुआ है। अतः प्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबे से संतुष्ट है। अब वह सडक में गये रकबे के लिए ऐतराज नहीं कर सकता



अधिवक्ता

हे। प्रार्थी अप
अनुसार प्रार्थी
स

है। प्रार्थी अपने स्वयं के वचनों से पाबन्ध है। विबन्ध के सिद्धान्त अनुसार प्रार्थी अपने कथनों से मुकर नहीं सकता है। प्रार्थीगण ने सडक का रकबा अपनी खातेदारी में जोड़ने का निवेदन किया है किन्तु आवश्यक पक्षकार पी.डब्लू.डी. को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः पक्षकार के अभाव में उक्त इस्तदुआ पाने का अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमानजी का जवाब आवेदन प्रस्तुत का निवेदन है कि पूर्व के माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त मौका से प्रस्तावित नक्शा दिनांक 22.06.2001 अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा इस आवेदन में जारी किये गये स्थगन आदेश को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबंदिया, संलग्न लट्टा नक्शा की प्रति, प्रार्थी के खेत की नेखबंदी आदेश की प्रति एवं पूर्व में न्यायालय द्वारा किए गए तरमीम दुरस्ती के आदेश व मौका फर्द मय नक्शा प्रस्तुत किए।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हेए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.08 व खसरा नम्बर 311/224 रकबा 86.09 बीघा कुल रकबा 97.17 बीघा ग्राम खोडाल तह0 शिव में अवस्थित है। मूल खसरा नम्बर 224 में से 100 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता ने दिनांक 14.01.66 सम्वत 2023 में खरीदी थी तथा उक्त खेत की तरमीम दुरस्ती भी हो चुकी है तथा मौका से तरमीम सुदा नक्शा भी आ चुका है। जो आवेदन के साथ पेश है। मौके पर 100 बीघा भूमि एकल है किसी प्रकार से विभक्त नहीं है तथा मौके पर प्रार्थी के दो ट्यूब वैल, ढाणी, टांका बने हुऐ है तथा 2023 से लेकर आज तक कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है। हल्का पटवारी व आर0आई0 की भूल से रेकर्ड में तरमीम आदेश की पालना नहीं हुई तथा मौका पर स्थिति भिन्न है तथा रेकर्ड में स्थिति भिन्न है इस कारण दिनांक 12.07.2001 को मौका से प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम की जावे जब तक तरमीम नहीं होती हैं तब तक वर्तमान मौका की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन व किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जावे। खसरा नम्बर 224 जो वादी के नाम से दर्ज है जिसकी पूर्व में तरमीम दुरस्ती का नक्शा आ चुका है तथा उक्त नक्शा अनुसार फैसला भी हो चुका है। हल्का पटवारी व आर0आई0 की भूल से प्रार्थी को शिकार नहीं बनाया जावे। विप्रार्थीगण प्रार्थी के पुराने प्रस्तावित तरमीम में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तथा भविष्य में तनाव लडाई झगडा की तीव्र सम्भावना बन चुकी है एवं अनावश्यक झगडे नहीं हो व अनावश्यक मुकदमेंबाजी नहीं बढे इसलिये प्रार्थी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे तथा मौके में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें। प्रार्थी साफ दिल से अदालत में आया है उसके साथ बडा भारी अन्याय हुआ है। उसके खेत के दो टुकडे कर दिये है जबकि मौका पर पुरा खेत 100 बीघा का एकल है। सडक विप्रार्थी के खसरा नम्बर 289/224 रकबा 105.


उपस्थित अधिकारी
शिव

02 बीघा व खसरा नम्बर 294/224 रकबा 132.14 बीघा ग्राम खोडाल मे से सडक का रकबा 2.3 बीघा काटी जावे। प्रार्थी के खेत में से कोई सडक नही निकलती है जबकि प्रार्थी के खसरा मे से 2.03 बीघा भूमि गलत तरीके से सडक की काट दी है। जबकि प्रार्थी के खेत मे कोई सडक ही नही चल रही है तथा 100 बीघा एकल खेत का अलग खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.08 बीघा अलग सृजित कर दिया है। जबकि उपरोक्त रकबा का 100 बीघा खेत एकल है। उक्त रकबा 11.08 एकल होते हुऐ भी अलग दर्शा दिया है जो कल्पना से परे है एवं सारी स्थिति भिन्न हो गई है। मूल खसरा नम्बर 224 का रकबा 100 बीघा भूमि एकल की जावे तथा विभक्त खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.06 को मूल वर्तमान खसरा नम्बर 311/224 का 100 बीघा किया जावे एवं सडक की 2.03 बीघा भी मूल खसरा नम्बर 311/224 के साथ जोड़ कर रेकर्ड मे दुरस्ती कर 100 बीघा भूमि काश्त कब्जा अनुसार तथा पूर्व मे हुई तरमीम तो पूर्व मे नक्शा आ चुका है उसके अनुसार सही दुरस्त की जावे। प्रार्थी की सहमति के बिना प्रार्थी की भूमि के टुकडे करने तथा 2.03 बीघा भूमि सडक नही चलते हुऐ भी सडक मे भूमि काटना प्रार्थी के साथ बडा भारी अन्याय, धोखा हुआ है। प्रार्थी अपनी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार तरमीम सही करवाने का पूर्ण अधिकारी हैं तथा प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा, संरक्षण कर प्रार्थी की सुरक्षा, संरक्षण कर प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा की जावे। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर वर्तमान खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.08 बीघा व खसरा नम्बर 311/224 रकबा 86.09 बीघा व सडक में कटी भूमि 291/224 की 2.03 बीघा भूमि प्रार्थी के मूल खसरा नम्बर 224 कय अनुसार व कब्जा अनुसार 100 बीघा एकल की जावे तथा नये सिरे से कब्जा अनुसार तरमीम की जावे व सडक विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 289/224 रकबा 105.02 बीघा व खसरा नम्बर 294/24 रकबा 132.14 बीघा ग्राम खोडाल मे से काटी जावे।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 व उसकी माता किसनी पत्नी मानाराम की संयुक्त खातेदारी के खेत का रकबा 97.17 बीघा है रकबा 2.03 बीघा भूमि सडक मे जाने से कम हो चुकी है। प्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 22.06.2001 की मौका से प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम की जाती है तो हम विप्रार्थी संख्या 4 व 5 को कोई ऐतराज नही है। मौके पर भी प्रार्थी एवं विप्रार्थी इसी अनुसार कब्जा काश्त के काबिज है। अतः किसी भी पक्षकार को उसके हको से वंचित नहीं किया जावे एवं न ही उपयोग उपभोग में बाधा पैदा की जावे। प्रार्थी एवं विप्रार्थी मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर काश्त सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है केवल तरमीम ही पूर्व आदेशानुसार की जानी उचित है। अतः प्रार्थी हम विप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी संख्या 1 व उसके सह खातेदार

उपस्थान्त अधिकारी
शिव


का राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा एकल किया जाता है तो हम विप्रार्थीगण को केई ऐतराज नहीं है। पूर्व में पारित आदेश अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण ने समस्त रेकर्ड खातेदार व हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार बनाये बिना उक्त आवेदन प्रस्तुत किया होने से आवेदन खारीज योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबानुसार ही अपने खेत की नेखमबंदी किये जाने का आदेश भी माननीय न्यायालय से करवाया हुआ है। अतः प्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबे से संतुष्ट है। अब वह सडक में गये रकबे के लिए ऐतराज नहीं कर सकता है। प्रार्थी अपने स्वयं के वचनों से पाबन्ध है। विबन्ध के सिद्धान्त अनुसार प्रार्थी अपने कथनों से मुकर नहीं सकता है। प्रार्थीगण ने सडक का रकबा अपनी खातेदारी में जोडने का निवेदन किया है किन्तु आवश्यक पक्षकार पी.डब्लू.डी. को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः पक्षकार के अभाव में उक्त इस्तदुआ पाने का अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमानजी का जवाब आवेदन प्रस्तुत का निवेदन है कि पूर्व के माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त मौका से प्रस्तावित नक्शा दिनांक 22.06.2001 अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा इस आवेदन में जारी किये गये स्थगन आदेश को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 293/244 व 311/244 कुल रकबा 97.17 बीघा भूमि मौजा खोडाल तह0 शिव की भूमि एवं सडक में काटी गई भूमि को सम्मिलित करते हुए कुल रकबा 100 बीघा भूमि एकल कर खातेदारी में घोषित करने एवं नये सिरे से लट्ठा नक्शा में तरमीम किये जाने का निवेदन किया है। जबकि मूल खसरा नम्बर 224 से विभक्त खसरा नम्बर 224/3 जो प्रार्थी की खातेदारी का है, की तरमीम इसी न्यायालय से पूर्व में किए जाने के आदेश किए हुए है, पूर्व में पारित आदेश के संलग्न तरमीम दुरस्ती के नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार ही प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त विद्यमान है। जिसकी ताईद वर्तमान में मंगवाई गई मौका रिपोर्ट से हो रही है। प्रार्थी ने वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा को सही मानते हुए अपनी खातेदारी भूमि की नेखबंदी का आदेश भी इसी न्यायालय से करवाया हुआ है। अतः प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबे को स्वीकार कर रहा है। अतः प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबे को स्वीकार कर रहा है। जब कोई पक्षकार अपने स्वयं के कथनों से किसी तथ्य को स्वीकार कर लेता है तो वह पक्षकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार अपने कथनों से पाबंद हो जाता है तथा अपने कथनों से मुकर नहीं सकता है। प्रार्थी ने सडक के काटे गए रकबे को स्वीकार कर तरमीम दुरस्ती रकबा 97.17 बीघा की करवाई एवं इतने ही रकबे की नेखबंदी करवाने का आदेश पारित करवाया है। अतः प्रार्थी अब सडक में काटे गए रकबे को पुनः अपनी खातेदारी में जुडवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट मंगवाने

का भी निवेदन किया है। जिस पर न्यायालय से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें यह स्पष्ट आया है कि प्रार्थी मौके पर पूर्व में पारित दुरस्ती आदेश व दुरस्ती के प्रस्तावित नक्शा अनुसार ही काबिज है एवं प्रार्थी मौके पर अपने हिस्से से अधिक की भूमि पर कब्जा किए हुए है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सडक में काटे गए रकबे को स्वयं की खातेदारी में जोड़ने का निवेदन किया है। किन्तु प्रार्थी ने प्रभावित पक्षकार पी.डब्लू. डी. को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रभावित पक्ष को बिना सुने उसके विरुद्ध कोई निर्णय किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के समस्त रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकारान के अभाव में भी खारीज योग्य है। प्रार्थी ने धारा 131, 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधि0 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस धारा के अन्तर्गत केवल दुरस्ती की जा सकती है। खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती। जबकि प्रार्थी की खातेदारी के खेत की तरमीम दुरस्त किए जाने का आदेश इसी न्यायालय से पूर्व में पारित है। इसलिए प्रार्थी को केवल पूर्व में पारित आदेश की पालना ही तहसीलदार शिव से करवानी उचित प्रतीत होती है। इसी न्यायालय से पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/3265 दिनांक 12.07.01 अनुसार तहसीलदार शिव राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा में प्रार्थी के दोनो खसरा नम्बर 293/224 रकबा 11.08 बीघा एवं खसरा नम्बर 311/224 रकबा 86.09 बीघा कुल रकबा 97.17 बीघा मौजा खोडाल तह0 शिव की भूमि का खसरा एकल करते हुए नवीन खसरा नम्बर कायम कर रकबा 97.17 बीघा की लट्ठा नक्शा में तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि तहसील शिव पटवार मण्डल राजडाल के ग्राम खोडाल में प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 293/224 व 311/224 को एकल कर एक खसरा नम्बर कायम करते हुए रकबा 97.17 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में पूर्व पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/3265 दिनांक 12.07.01 अनुसार राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दखिल दफतर हो।


सहायक प्रमुख (आ.स.डी.ओ.)
शिव, जि.शिवबाड़मेर

